दिल्ली विकास प्राधिकरण

राजनिवास, दिल्ली में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे :

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविन्दर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

4. श्री बी के त्रिपाठी
   सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड

5. श्री विजेन्दर गुप्ता, विधायक

6. श्री सतीश उपाध्याय
   पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी.सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशिष्ट आमंत्रिति और वरिष्ठ अधिकारी

1 श्रीमती नूतन गुहा विश्वास
उपराज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव

2 श्री दयानंद कटारिया
प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक और प्रणाली), दि.वि.प्रा.

3 श्री अमित यादव
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

4 श्रीमती स्वाति शर्मा
उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव

5 श्री आर.एन. शर्मा
उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव

6 श्री अजय चौधरी
उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी

7 श्री विश्वेन्द्र
उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

8 डॉ सिमी मल्होत्रा
उपराज्यपाल दिल्ली के सलाहकार (मीडिया, अकादमी, कला, संस्कृति एवं भाषा)

9 श्री एम के गुप्ता
आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा.

10 श्री आर.के. जैन
आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

11 श्री एस.पी. सिंह
विशेष सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

12 श्री शमशेर सिंह
मुख्य नगर योजनाकार, एसडीएमसी और एनडीएमसी

13 श्री एस.पी. पाठक
अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

14 श्री पी.एस. उत्तरवार
अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

15 श्री विनोद साकले

अपर आयुकत (योजना), दि.वि.प्रा.

16 श्री एच.के. भारती
निदेशक (योजना) यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

17 श्री विश्वा मोहन
निदेशक (सीएल), दि.वि.प्रा.

18 श्री संजीव मित्तल
निदेशक (भूमि), दि.वि.प्रा.

19 श्री एच पी शर्मा
उप सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

20 श्री जे.एन. बर्मन
निदेशक (तकनीकी), एनसीआर पीबी

21 श्रीमती पारोमिता रॉय
उप निदेशक, यूटीपैक, दिविप्रा

22 श्रीमती नीमोधर
सलाहकार (जनसंपर्क), दिविप्रा

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिविप्रा ने श्री सतीश उपाध्याय, पार्षद, दक्षिण दिल्ली नगर निगम का स्वागत किया जिन्हें वर्तमान में प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निगम द्वारा चुना गया है।

II. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिविप्रा ने बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या 23/2005</u>

राजनिवास में 16.02.2015 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2015/एमसी/डीडीए

16.02.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि यथा परिचालित अनुसार की गई ।

मद संख्या 24/2005

12.12.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2014/एमसी/डीडीए

i. डीएसआईआईडीसी द्वारा सुझाए गए सुझावों जिसमें 12.12.2014 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में एजेंडा मद सं. 174/2014 में पहले चर्चा की गई थी, के अनुसार दि.मु.यो. 2021 के संशोधन के संबंध में मुख्य सचिव, दिल्ली और उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की बैठक आयोजित की जाएगी और उसके पश्चात प्राधिकरण के समक्ष एक अलग एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा। मद संख्या 183/2014 के लिए वर्तमान बैठक में प्राधिकरण के समक्ष एक विस्तृत एजेंडा प्रस्तुत कर दिया गया है।

ii. यह निर्णय लिया गया कि इसके पश्चात प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने के बाद बैठक के कार्यवृत्त की औपचारिक पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से मुद्दों/मदों पर तात्कालिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।

iii. 12.12.2014 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की कार्रवाई रिपोर्ट (ए टी आर) को नोट किया गया।

मद सं 25/2015

ज़ोन पी-I में स्थित सेक्टर ए-7, नरेला में सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र की 19980 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भूमि के भूमि उपयोग का सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक (पी एस I- अस्पताल) से परिवहन (डिपो-बस) में परिवर्तन (सीएलयू)।

एफ.20(29)2014-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को स्थगित कर दिया ।

मद सं 26/2015

डीडी एक्ट 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दि.मु.यो.-2021/ज़ोन पी-I की क्षेत्रीय विकास योजना (जेड डी पी) में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(14)2010-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं 27/2015

योजना ज़ोन 'डी' में आने वाले बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के समीप यूनिक आइडेनटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यू आई डी ए आई) के मुख्यालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए 4447.49 वर्गमीटर (1.099 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग का सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं से 'सरकारी (सरकारी कार्यालय)' में प्रस्तावित परिवर्तन ।

एफ 20(11)2012/एम पी

मद सं. 29/2015

योजना ज़ोन 'डी' में आने वाले पॉकेट-III, राउज़ एवेन्यू, डी डी यू मार्ग, नई दिल्ली में स्थित 1015 वर्ग मीटर (0.1015 हेक्टेयर) क्षेत्र के भूमि उपयोग का 'आवासीय' से 'सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं' में प्रस्तावित परिवर्तन ।

एफ.20(22)2014/एमपी

मदसंख्या 30/2015

योजना ज़ोन-'डी' में आने वाले जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने प्रस्तावित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुख्यालय भवन के लिए 'आवासीय' से 'सरकारी (सरकारी कार्यालय)' 4191 वर्गमीटर (1.0356 एकड़) के क्षेत्र के भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन ।

एफ.20(26)2014/एमपी

मदसंख्या 32/2015

योजना ज़ोन-'डी' में आने वाले मोतीबाग, नई दिल्ली में होटल लीला के निकट स्थित 7830 वर्गमीटर (0.78 हेक्टेयर) क्षेत्र के भूमि उपयोग का 'परिवहन (रेल परिचालन)' से 'आवासीय' में प्रस्तावित परिवर्तन ।

एफ.20(02)2012/एमपी

उपरोक्त सभी चार एजेंडा मद संख्या 27,29,30 और 32 जोन 'डी' के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए अंतिम अधिसूचना से संबंधित हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए इन चार मदों में से तीन मामले केंद्रीय सरकार के संगठनों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित हैं और एक गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) से संबंधित है, जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय से संदर्भ प्राप्त हुआ था।

प्राधिकरण को शहरी विकास मंत्रालय की टिप्पणी के बारे में भी सूचित किया गया था जिसमें इसे निम्नानुसार निदेशित किया गया है:

"प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2008 के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले एल. बी. जेड के लिए विकास योजनाओं से संबंधित मौजूदा निदेशों के अनुसार, पी.एम.ओ से पूर्व मंजूरी के लिए, डीडीए द्वारा तैयार किए जा रहे जेड.डी.पी. के प्रारूप को भेजने का अनुरोध किया था।

तदनुसार, आप से अनुरोध है कि ज़ोन डी डॉफ्ट जेड डी पी को आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन में रखने से पूर्व पीएमओ में आगे प्रेषित करने के लिए इस ड्राफ्ट की एक प्रति इस मंत्रालय में प्रस्तुत करें।

परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के अनुसार भूमि उपयोग के परिवर्तन की आगे की प्रक्रिया के लिए शहरी विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए इन सभी एजेंडा मदों को अनुमोदित किया जाएगा। यह रेखांकित किया गया था कि कोई भी अंतिम अधिसूचना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पीएमओ से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जारी की जा सकती है।

<u>मदसंख्या 28/2015</u>

नाइट शेल्टरों के विकास नियंत्रण मानदंडों के संदर्भ में एमपीडी-2021 में संशोधन का प्रस्ताव।
एफ.3(80)/2007-एमपी

एजेंडा मद पर चर्चा को स्थगित किया गया।

मदसंख्या 31/2015

औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी, फेज-V में साइट संख्या I-4 और I-5 के क्रमश: 1.44 हेक्टेयर (3.55 एकड़) और 1.21 हेक्टेयर (2.98 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग का 'औद्योगिक' से 'उपयोगिता' (यू-4, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा) प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(18)/2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 33/2015

स्कूल प्लॉट और पार्किंग के संबंध में एमपीडी-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.9(11)99/एमपी

विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि स्कूल भूखंडों के लिए पार्किंग की आवश्यकता के संबंध में एमपीडी-2021 में प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा की जाएगी।एजेंडा मद में निहित शेष प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मदसंख्या 34/2015

दिल्ली में नए 'स्लॉटरहाउस' के प्रावधानों के संबंध में एमपीडी-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.3(143)82/एमपी

एजेंडा मद पर चर्चा को स्थगित किया गया।

मदसंख्या 35/2015

पालतू और आवारा पशुओं को दफनाने/शव दहन/शव दाह गृह मिश्रित उपयोग विनियम, निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वर्ष 1962 से पूर्व अवस्थित संपत्तियों के उप-खंड के संबंध में एमपीडी2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(09)2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया: -

(i) जैसा कि प्राधिकरण सदस्यों, डीडीए श्री विजेंद्र गुप्ता और श्री सतीश उपाध्याय, ने सुझाव दिए हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए एक रेन्डरिंग प्लांट हेतु एक साइट की पहचान करनी चाहिए।

(ii) पालतू जानवरों के शवों को दफनाने का स्थान कब्रिस्तान, श्मशान घाट और सिमेट्री से अलग स्थित होना चाहिए।

<u>मदसंख्या 36/2015</u>

पीवीसी बाजार परियोजना, टिकरी कलां रोहतक रोड, जोन-एल के ले-आउट प्लान में निर्धारित 17540 वर्ग मीटर के प्लॉट के भूमि उपयोग का "मैन्यफैक्चरिंग, सर्विसेज़ एंड रिपेयर इंडस्ट्रीज़ (एम -1)" से यूटिलिटी (यू-4)" एमएसडब्ल्यू और पीवीसी कचरे के लिए ठोस अपशिष्ट प्रक्रमण/सुविधा स्थल में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(12)95/एमपी/वोल-1

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मदसंख्या 37/2015</u>

डीडीए में कार्यरत कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और डीडीए मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में यथा परिभाषित आश्रितों के हितलाभों के लिए कर्मचारी हितकारी निधि (स्टाफ बेनिफिट फंड)।

एफ.9(1)/2013/वेलफेयर/वोल-I

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मदसंख्या 38/2015</u>

समूह 'घ' कर्मचारियों को एसीपी/एमएसीपी।

एफ4(15)2014/पीएंडसी(पी)

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मदसंख्या 39/2015

सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन

एफ.5(17)2012/पीएंडसी(पी)

एजेंडा मद पर चर्चा को स्थगित किया गया।

मद संख्या 40/2015

नीलामी के उद्देश्य से डीडीए में व्यावसायिकप्लॉटों के संबंध में आरक्षित मूल्य का निर्धारण।

एफ.पीएसपीसी(एल डी)2014/कमर्शियल. प्रॉपर्टी/5/पार्ट फाइल

प्रस्ताव में शामिल एजेंडा मद को अनुमोदित किया गया ।

मदसंख्या 41/2015

लेकव्यू कॉम्प्लेक्स: परियोजना के लिए टीओडी विकास मानदंडों और कार्यान्वयन मॉडल के आधार पर पटपड़गंज / त्रिलोकपुरी में लगभग 10.26 हेक्टेयर भूमि के विकास के लिए एकीकृत योजना।

एफ.3(90)/98-एम.पी/वॉल.II

I) एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ii) इस परियोजना के लिए डीडीए और एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन का मसौदा अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।

iii) संजय झील के पानी की गुणवत्ता में सुधार का काम तुरंत शुरू किया जाए। साथ ही उक्त क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए।

मद संख्या 42/2015

पुरानी योजना शाखा में दुरुपयोग की गई / दुरुपयोग की जा रही संपत्तियों के संबंध में सावधि पट्टे के नवीनीकरण संबंधी नीति।

एफ.एस/1(11)2015/डीडीए/ओ एस बी

I. एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

II. एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव के अनुसार कन्वर्जन स्कीम 31.12.2015 तक की अवधि के लिए होगी।

मद संख्या 43/2015

जोन 'जे' के गांव मैदानगढ़ी में 3.48 हेक्टेयर (8.6 एकड़) भूमि के भूमि उपयोग का "आवासीय उपयोग" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएस 1)" में परिवर्तन।

एफ.20(28)/2014-एम पी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 44/2015

अंधेरिया मोड़ गांव, महरौली, नई दिल्ली में 10 एकड़ भूमि के भूमि उपयोग का "आवासीय" से "सरकारी (सरकारी कार्यालय)" में परिवर्तन।

एफ. 3(16)2012-एम पी

i. एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ii. यदि दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) भूमि और भवन विभाग, जीएनसीटीडी के साथ भूमि का अपना स्वामित्व स्थापित करने में सक्षम है, तो डीडीए या तो एसडीएमसी को उपयुक्त वैकल्पिक भूमि आबंटित करेगा या उसे भूमि के मुआवजे का भुगतान करेगा।

मद संख्या 45/2015

लाइब्रेरी कैडर के भर्ती विनियम में संशोधन।

एफ.1(मिस)08/आर आर/लाइब्रेरी/2014

एजेंडामद पर चर्चा को स्थगित किया गया।

मद संख्या 46/2015

मुख्य वास्तुकार के भर्ती विनियमों में संशोधन।

एफ.7(20)2013/पी बी-I

एजेंडामद पर चर्चा को स्थगित किया गया।

मद संख्या 47/2015

डीडीए में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन।

एफ.7(140)2010/पी बी-I

एजेंडामद पर चर्चा को स्थगित किया गया।

मद संख्या 48/2015

प्लॉटिड डेवलपमेंट में आवासीय भूखंडों का समामेलन।

एफ. 20(01)2013/एम पी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 49/2015

प्राधिकरण की दिनांक 16.2.2015 की बैठक में अनुमोदित पूर्वी दिल्ली हब (कड़कड़डूमा) और इसी तरह की अन्य टीओडी/स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए डीडीए और एनबीसीसी के बीच मानक समझौता ज्ञापन में संशोधन।

एफ.11(01)2010/यूटीपैक/वोल-iii (पार्ट)

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया: -

i) एमओयू के पैरा 2.2 के संबंध में, श्री विजेंदर गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया कि निम्नलिखित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है:

क)कि डीडीए और एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन का मसौदा इस परियोजना के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

ख) वर्तमान समझौता ज्ञापन को भविष्य में इसी तरह की योजनाओं के लिए मानक समझौता ज्ञापन के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ग) एनबीसीसी या समान कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समान तर्ज पर किए गए प्रत्येक उत्तरवर्ती समझौता ज्ञापन के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन लिया जाएगा।

ii) योजना के अंतर्गत सभी संपत्तियों का निपटान नजूल नियमों के अनुसार किया जाएगा और ऐसी संपत्तियों के निपटान मूल्य का 1% निपटान शुल्क के रूप में एनबीसीसी को

देय होगा। सभी अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने के लिए एनबीसीसी जिम्मेदार होगा। संपत्तियों का निपटान/सुपुर्दगी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

अन्य मामले:

i) यह निर्णय लिया गया कि एसडीएमसी अपने मुख्यालय के निर्माण के लिए भूमि आबंटन के लिए डीडीए को विचारार्थ 2 से 3 स्थलों का सुझाव देगी।

ii) डीडीए में मेट की शिकायतों पर एजेंडा मद यदि आवश्यक हुई तो प्राधिकरण के समक्ष अलग से रखी जाएगी।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।